

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Karnal Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0013

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

18/04/2024 19:45 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/04/2024 Time (समय): 19:19 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 013 Date and Time (दिनांक और समय): 18/04/2024 19:19 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 35 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): विक्रम सिंह मलिक

(b) Father's Name (पिताका नाम): उमेश सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	डी0जे 139, वार्ड न0 10 समालखा, PANIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	डी0जे 139, वार्ड न0 10 समालखा, PANIPAT, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	निरीक्षक रामबिलासा			1. एस0एच0ओ0 सैक्टर 13/17 पानीपत, PANIPAT, HARYANA, INDIA
2	धर्मेन्द्र	धरमु		1. पानीपत, PANIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, इंस्पेक्टर साहब विजिलेंस करनाल श्री मान जी, निवेदन है कि मैं विक्रम सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह वासी मकान न0 D.J. 139 वार्ड न0 10 समालखा जिला पानीपत का रहने वाला हूँ। मेरे दोस्त नरेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश वासी पांची

जाटान जिला सोनीपत के दुर के रिस्ते मे भतिजे अंकित के खिलाफ मुकदमा न0 49 दिनांक 18/02/2024 धारा 313/323/34/376(2)N/506 IPC PS सैक्टर 13/17 पानीपत मे दर्ज है। जिसमे मेरे दोस्त नरेन्द्र का भी झुठा नाम लिखवा रखा है। जिस सम्बन्ध मे मैं निरीक्षक रामबिलासा SHO सैक्टर 13/17 पानीपत से मिला तो मैंने अपने दोस्त नरेन्द्र का मुकदमा मे झुठा नाम लिखवाने बारे बातलाया था तो SHO रामबिलासा ने मुझसे कहा कि आप इस बारे मे पांची गांव के धर्मेन्द्र उर्फ धरमु जिसका गांव पांची मे गणेश मैडिकल स्टोर है से मिलकर बात कर लेना फिर मैं SHO रामबिलासा के कहे अनुसार धर्मेन्द्र उर्फ धरमु को साथ लेकर SHO साहब से थाना मे मिला जो SHO साहब ने धर्मेन्द्र उर्फ धरमु से सलाह मशवरा करके मुझे कहा कि इस केस के बारे मे मेरी धरमु से बात हो गई है आप धरमु से मिल लेना इस बारे मे आप मेरे से कोई बात मत करो फिर मैं थाने से बाहर आकर धर्मेन्द्र उर्फ धरमु से मिला जिसने मुझे बतलाया कि मेरी आपके मुकदमा बारे SHO साहब से बात हो गई है। आपके दोस्त नरेन्द्र का नाम मुकदमा से निकाल दिया जाएगा जिसकी एवेज मे रिश्त के तोर पर आपने एक लाख रुपये देने होंगे जिस बारे मैंने मजबूरी वंश धर्मेन्द्र उर्फ धरमु को 1 लाख रुपये देने बारे हां कर दी थी जो आज मुझे धर्मेन्द्र उर्फ धरमु ने 1 लाख रुपये रिश्त की राशि लेकर SHO रामबिलासा को देने के लिए बुलाया है जो मैं 1 लाख रुपये रिश्त की राशि नही देना चाहता मैं उनको रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ जिसकी मैंने रिकार्डिंग कर रखी है जो मैं बाद मे आपको पेश कर दूंगा इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे Sd/- Vikram Singh विक्रम सिंह मलिक पुत्र श्री उमेद सिंह वासी मकान न0 DJ 139 वाई न0 10 समालखा जिला पानीपत दिनांक: 18/04/2024

कार्यवाही पुलिस:- आज मन नि0 मय नि0 दीपक कुमार नं0 875/KNL, मय ASI संजय कुमार नं0 605/KNL, ASI अरविन्द्र नं0 1274/KNL, ASI सजय कुमार नं0 683/PPT, ASI जगविन्द्र नं0 189/PPT, मु0 सि0 बलिष्ठर नं0 165/PPT, मय गाडी सरकारी न0 HR03GV-1916 जिसका चालक EHC बलदेव नं0 624/AMB के बराये खुफिया ड्युटी घरोण्डा नजदीक टोल प्लाजा के पास मौजूद हू कि मेरे मोबाईल पर व्हाटसप काल आया जिसने अपना नाम विक्रम सिंह बतलाया जिसने रिश्त मागने की रेड करवाने बारे कहा। मन निरीक्षक ने जिसको मौका पर आने बारे कहा और कुछ देर बाद शिकायतकर्ता विक्रम सिंह ने मुलाकि होकर एक हस्त लिखित शिकायत मन नि0 को पेश की जिस पर मन नि0 ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्टि होने पर मन निरीक्षक की हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500/500 रुपये के 200 नोट करैन्सी नोट कुल 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) पेश किए। जिनको बजरिया फर्द कब्जा पुलिस मे लेकर अलग से फर्द सूची करैन्सी नोट तैयार की गई। फर्द सूची करैन्सी नोट पर शिकायतकर्ता विक्रम सिंह उपरोक्त ने अपने हस्ताक्षर किए व मन नि0 ने भी अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध मे उच्च-अधिकारियों के संज्ञान मे लाकर राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करने बारे आग्रह किया। राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध मे उचित आदेश प्राप्त होने उपरान्त मन नि0 द्वारा श्री सुरेन्द्र टामक सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी करनाल से सम्पर्क करके हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक भ0नि0ब्यू0 करनाल मण्डल करनाल के आदेशों बारे अवगत कराया और अपने साथ एक कर्मचारी लेकर हाजिर आने बारे कहा। दरखास्त के मजबूत से धर्मेन्द्र उर्फ धरमु वासी गांव पांची सोनीपत व SHO रामबिलासा सै0 13/17 पानीपत के खिलाफ सुरत जुर्म धारा 7,7A PC Act 1988 व 120-B IPC का सरजद होना पाया गया। मन नि0 मय साथी कर्मचारी मय प्राईवेट गाडी, तफतीशी बैग, लैपटाप, प्रिन्टर सहित मय शिकायतकर्ता के रैडिंग पार्टी तैयार की गई। जो राजपत्रित अधिकारी श्री सुरेन्द्र टामक, सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी करनाल अपने कार्यालय से श्री कृष्ण शर्मा, कृषि निरीक्षक के मौका पर हाजिर आया। जिनको शिकायत और शिकायतकर्ता से अवगत करवाकर। फर्द सूची करैन्सी नोट तस्दीक करवाया गया। तहरीर हजा बारे कायमी अभियोग बादस्त ASI जगविन्द्र नं0 189/PPT के थाना भेजी जा रही है बाद कायमी अभियोग नं0 से सुचित किया जाए। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट E-Mail के माध्यम से ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे। असल तहरीर मय नकल मिशल मौका पर भिजवाई जावे। मन नि0 मय मुलाजमान के रेड कार्यवाही मे व्यस्त होता हू। अज:- घरोण्डा नजदीक टोल प्लाजा Sd/-Tejpal, निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल दिनांक 18/4/2024 At 06.05 PM

अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर कायमी मुकदमा न0 13 दिनांक 18.04.2024 धारा 7,7A PC Act 1988 व 120-B IPC थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्युटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला वा ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब पानीपत को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा ASI जगविन्द्र नं0 189/PPT के हवाले की जाकर रवाना निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर

थाना के कोड से निरीक्षक सचिन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्र किया गया है

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Tejpal Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): PSI to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): RAJESH PHOGAT

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				Is pox pitted: Yes
2	Male	1981				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)